भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या : 317

उत्तर देने की तारीख : 20.12.2021

पाठ्यक्रम में श्रीमद्भगवद् गीता को शामिल करना

***317. श्री गोपाल शेट्टी:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा देश में सभी विद्यालयों, महाविद्यालयों और तकनीकी/चिकित्सा संस्थानों के पाठ्यकम में श्रीमद्भगवद् गीता को शामिल करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार को इस संबंध में अगस्त, 2020 में जन-प्रतिनिधियों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ड.) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है अथवा की जा रही है?

उत्तर

शिक्षा मंत्री

(श्री धर्मेन्द्र प्रधान)

(क) से (ड.): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

'पाठ्यक्रम में श्रीमद्भगवद् गीता को शामिल करना' के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री गोपाल शेट्टी द्वारा दिनांक 20.12.2021 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 317 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने सूचित किया है कि 'श्रीमद्भगवद् गीता' से संबंधित सामग्री पहले से ही इसकी कक्षा XI और XII की संस्कृत पाठ्य पुस्तकों में शामिल की गई है। इसके अलावा, सामाजिक विज्ञान के तहत कक्षा VI के लिए एनसीईआरटी की इतिहास पाठ्य पुस्तक अर्थात् 'हमारे अतीत- I' में भक्ति आंदोलन संबंधित 'व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री' विषय में श्रीमद्भगवत गीता का संदर्भ दिया गया है। इसी तरह, सातवीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक 'हमारे अतीत-II' में भी 'ईश्वर से अनुराग' विषय में श्रीमद्भगवद् गीता को स्थान प्रदान किया गया है। हालाँकि, शिक्षा, संविधान की समवर्ती सूची में एक विषय होने के नाते, और अधिकांश स्कूल राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में होने के नाते, यह राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के दायरे में है कि वे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (एनसीएफ) को ध्यान में रखते हुए अपने स्कूलों में पढ़ाये जाने वाली सामग्री / विषयों के बारे में निर्णय लें। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने सूचित किया है कि विश्वविद्यालय संबंधित केंद्रीय/प्रांतीय/राज्य अधिनियम के तहत निर्मित/निगमित स्वायत्त संस्थान हैं, जो अपने स्वयं के अधिनियमों, संविधियों और उसके तहत बनाए गए अध्यादेशों/विनियमों द्वारा शासित होते हैं; इसलिए, इन्हें अपने सांविधिक निकायों के उचित अनुमोदन के साथ किसी भी कार्यक्रम के लिए पाठ्यक्रम संबंधी निर्णय लेने की स्वायत्तता है। हालाँकि, श्रीमद्भगवद् गीता को योग विषय के लिए यूजीसी-नेट परीक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) ने यूजी इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के मॉडल पाठ्यक्रम में भारतीय पारंपरिक ज्ञान प्रणाली पाठ्यक्रम वर्ष 2018 से शुरू किया है, जिसमें श्रीमद्भगवद् गीता के कुछ पहलू शामिल हैं।

(ग) से (ड.): 'स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में पवित्र श्रीमद्भगवद् गीता को शामिल करने की आवश्यकता' से संबंधित मामला नियम 377 के तहत लोकसभा में 23.09.2020 को उठाया गया था। माननीय संसद सदस्य को तथ्यात्मक स्थिति से अवगत करा दिया गया है।

*****